भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3524
सोमवार, 3 अप्रैल, 2023 (13 चैत्र, 1945 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई यात्रा के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन

3524. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी भारतीय नागरिक के लिए जमीनी स्तर पर प्राप्त बुनियादी मानवाधिकार हवाई यात्रा के दौरान विमान में भी उपलब्ध होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अधिकारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में हवाई यात्रा के दौरान मानवाधिकारों उल्लंघन के कितने मामले सामने आए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा यात्रियों के इन अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए कोई तंत्र विकसित किया जा रहा है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा यात्रियों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने की कोई योजना प्रस्तावित है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (ङ): उड़ान के दौरान विमान/व्यक्तियों/विमान की संपत्ति की संरक्षा/अच्छी व्यवस्था और अनुशासन सुनिश्चित करने तथा विमान में गैरकानूनी/उपद्रवी व्यवहार से निपटने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय ने "उद्दण्ड यात्रियों की हैंडलिंग" शीर्षक से नागर विमानन अपेक्षाएँ (सीएआर) खंड 3-वायु परिवहन, श्रृंखला एम भाग VI जारी किया है। उपरोक्त नागर विमानन अपेक्षाओं में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार, फ्लाइट क्रू, केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा उन्हें अनियंत्रित यात्रियों से निपटने की प्रक्रियाओं का ज्ञान, इसका पता लगाने संबंधी ज्ञान, संवेदनशील स्थितियों का समाधान और निवारण करने, उपद्रवी व्यवहार के विभिन्न कारणों का पता लगाने और इनकी रिपोर्ट करने के साथ-साथ, गंभीर स्थितियों को संभालने की प्रक्रिया के विषय में जागरूक करना चाहिए।

उपरोल्लिखित नागर विमानन अपेक्षाओं में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एयरलाइनों द्वारा किसी यात्री को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखने से पूर्व यात्रियों की जवाबदेही सिद्ध करने से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। एयरलाइनों से प्राप्त सूचना के आधार पर, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा 'नो फ्लाई लिस्ट' का अनुरक्षण किया जाता है। इस प्रकार के यात्रियों के संबंध में एयरलाइनों को उपरोक्तानुसार वर्णित नागर विमानन अपेक्षाओं में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है।

डीजीसीए द्वारा संरक्षित नो-फ्लाई लिस्ट के अनुसार, वंचित यात्रियों के वर्षवार आंकड़े निम्नानुसार हैः

वर्ष	यात्रियों की संख्या
2020	10
2021	66
2022	63
